संख्या-40 /2026/I/1269303/तीस-3-2026-2017836

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 17 मार्च, 2026

विषय- गोमती नदी, लखनऊ में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट एवं रामगढ़ताल, गोरखपुर में यात्री बोट के संचालन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-40ज0प0/2026-16ज0प0(प्रा0वि0)/2026, दिनांक 06-02-2026, पत्र संख्या-47ज0प0/2026-16ज0प0(प्रा0वि0)/2026, दिनांक 12-02-2026 एवं पत्र संख्या-61ज0प0/2026-16ज0प0 (प्रा0वि0)/2026, दिनांक 05-03-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखने की नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	संबंधित प्राधिकरण का नाम	लागत आगणन/ प्रशासकीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत हेतु धनराशि
1	2	3		6
1	गोमती नदी, लखनऊ में 100 व्यक्तियों की क्षमता वाली मुख्य फ्लोटिंग रेस्टोरेंट संरचना एवं संचालन।	लखनऊ विकास प्राधिकरण	418.90	281.00
2	रामगढ़ताल, गोरखपुर में 50 व्यक्तियों की क्षमता वाली यात्री बोट।	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	306.0684	219.00
				कुल योग – रू0 500.00 लाख (रू0 पांच करोड़ मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(3) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(4) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(5) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(6) वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष में लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय800-अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण-42-अन्य व्यय की मद में प्राविधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-440-X-2025-26, दिनांक 17 मार्च, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-40/2026/I/1269303/2026(1)/तीस-3-2026-**2017836**, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ0प्र0।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित प्राधिकरण। (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।